



साइबर सेल

दिनांक-09.11.2022

## इंस्टाग्राम सोशल साइट पर आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर ब्लैकमेल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि कोतवाली क्षेत्र निवासी सुमन (काल्पनिक नाम) एवं महिमा (काल्पनिक नाम) द्वारा साइबर सेल में लिखित द्वारा सूचना दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनके इंस्टाग्राम आईडी पर फोटो इडिट कर आपत्तिजनक फोटो एवं मैसेज भेजा जा रहा है जिससे उपरोक्त दोनो पीड़िता काफी परेशान थी उपरोक्त प्रकरण में थाना कोतवाली में धारा-420/292 आईपीसी व 67 आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। साइबर सेल द्वारा जांच के दौरान उपरोक्त दोनों प्रकरणों में अभियुक्त आरिश पुत्र इरशाद निवासी मु० कालपी चौराहा बदनपुर, कोतवाली सदर का नाम प्रकाश में आया। कोतवाली पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 09.11.2022 को उपरोक्त अभियुक्त आरिश पुत्र इरशाद को गिरफ्तार किया गया एवं उसके पास से एक अदद मोबाइल (घटना में प्रयुक्त) बरामद किया गया।

### अपराध करने का तरीका:-

पूछताछ के दौरान उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह इंस्टाग्राम सोशल साइट से लड़कियों की पासपोर्ट टाइप फोटो लेकर तथा एप के माध्यम से न्यूड फोटो पे चेहरे को जोड़कर ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर फोटो एवं मैसेज भेजता था।